केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/370 दिनांक: 15.09.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00368
CICOM/R/2016/00952

अपीलकर्ता : श्री नर्वदेश्वर प्रसाद सिन्हा,
57, नन्दनपुरी, खाजपुरा,
पटना – 800014.

निर्णय की तारीख : 15.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	27.07.2016, 28.07.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती पुष्पा जनार्धनन, श्री किशोर कुमार पुखराल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	163969/12.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	483/16.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती पुष्पा जनार्धनन एवं श्री किशोर कुमार पुखराल, जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है । प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि बिंदु सं. III, IV एवं V के संदर्भ में उन्हें पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने बिंदु सं. III में पूछा था कि दिनांक 24.12.2015 एवं 18.04.2016 के उनके अभ्यावेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है बिंदु सं. IV में पूछा था कि इन पर कब तक सुनवाई सम्भावित है तथा बिंदु सं V में पूछा था कि डाक से भेजे गए पत्रों का डायरी संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जिसके प्रतउत्तर में श्रीमती पुष्पा जनार्धनन ने बिंदु सं. III के तहत अपीलकर्ता के अभ्यावेदनों की डायरी संख्या का उल्लेख करते हुए अवगत कराया है कि उनका अभ्यावेदन सेन्ट्रल रजिस्ट्री को भेजा गया है तथा बिंदु सं. V के तहत अवगत कराया गया कि आयोग में डाक प्राप्ति की स्थिति आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है । **इस संदर्भ में बिंदु सं. III के तहत श्री यू.सी. जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को उनके अभ्यावेदन की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया जाए।** बिंदु सं. IV के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि एक जन सूचना अधिकारी

---2/-

केवल रिकार्ड में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है, सुनवाई कब तक होने की संभावना है यह बताना जन सूचना अधिकार के दायित्व से परे है, कोई कार्य कब तक होगा यह सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना की परिभाषा में भी शामिल नहीं है । बिंदु सं V के संदर्भ में अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाईट में Status of Appeal And Complaints कॉलम में अपना नाम डालकर डायरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है अत: संलग्न दस रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 36 एफ 149855 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है ।

संलग्नक : यथोपरि ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री यू.सी.जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्रीमती पुष्पा जनार्धनन, जन सूचना अधिकारी, डाक अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।